प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 913/1-18-2010/क0सेल/27/2008 दिनांकः 8, जुलाई 2010

विषयः **तहसील स्तर से निर्गत किये जाने वाले आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं0-987/1-18-2008/क0सेल/27/2008, दिनांक 14-8-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद/तहसील स्तर से जारी होने वाले आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्रों की नम्बरिंग में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से 11 अंकीय कोडिंग व्यवस्था लागू की गयी है। उक्त परिषदादेश के द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक कार्यदिवस के सायंकाल में उसी दिवस को जारी हुये तीनों प्रकार के प्रमाण-पत्रों के क्रमांक, नाम, पिता का नाम संबंधित रजिस्टर से http://bor.up.nic.in पर फ़ीड किया जायेगा जिससे कि प्रमाण-पत्रों का सुगमता से सत्यापन हो सके। इससे प्रमाण-पत्रों के निगर्मन में जहाँ एक ओर पारदर्शिता आयेगी वहीं दूसरी ओर फर्जी प्रमाण-पत्रों पर अंकुश लगेगा। परन्तु परिषद की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की गयी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कतिपय जनपदों/तहसीलों में उक्त परिषदादेश का पूर्णतः अनुपालन नही किया जा रहा है तथा जारी होने वाले प्रमाण-पत्रों की नियमित फ़ीडिंग नही की जा रही है। यह स्थिति खेदजनक है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश सं0-1807/26-3-2010, दिनांक 17 मई 2010 के द्वारा अनूसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन छात्रों के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन-पत्रों में तहसील स्तर से निर्गत आंय प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किये जाने हेतु परिषद की वेबसाइट का उपयोग किये जाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।

........................जारी

उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि—

1 जनपद/तहसील स्तर पर उक्त परिषदादेश का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी होने वाले प्रमाण—पत्रों को नियमित रूप से परिषद के निर्देशानुसार फ़ीड कराया जाता रहे। यह दायित्व संबंधित तहसील के तहसीलदार का होगा।

2 संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी समय—समय पर औचक निरीक्षण कर यह देखें कि परिषद के निर्देशानुसार फीडिंग की जा रही है अथवा नही। उपजिलाधिकारी द्वारा ऐसे औचक निरीक्षण का फ़ीडबैक जिलाधिकारी को दिया जाय एवं जिलाधिकारी द्वारा अपने मण्डल के मण्डलायुक्त एवं राजस्व परिषद को दिया जाय।

3 संबंधित मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, मण्डलीय अपर आयुक्त एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा अपने निरीक्षणों में यह भी देखा जाय कि जारी होने वाले प्रमाण—पत्रों को परिषद के निर्देशानुसार नियमित रूप से फ़ीड किया जा रहा है अथवा नही। यदि नियमित रूप से फ़ीडिंग नही की जा रही है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय एवं कृत कार्यवाही से परिषद को भी अवगत कराया जाय।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

7/7/10

(संजीव दूबे)
आयुक्त एवं सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपर्युक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समाज कल्याण आयुक्त, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग—4, लखनऊ।

आज्ञा से,

(विशाल भारद्वाज)
सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त।